# अध्याय 9 अनुशंसाएँ

झारखण्ड में सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली का मुख्य बिंदु होने के कारण जिला अस्पताल संपूर्ण स्वास्थ्य प्रणाली के प्रदर्शन को प्रभावित करते हैं। 2014-19 के दौरान राज्य में सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय में उल्लेखनीय वृद्धि के बावजूद, नमूना जाँचित जिला अस्पतालों ने दक्षता, सेवा गुणवत्ता और निदानकारी देखभाल क्षमताओं से संबंधित परिणाम संकेतकों पर अच्छा प्रदर्शन नहीं किया।

जिला अस्पतालों में सही समय पर सही देखभाल प्रदान करने के लिए, राज्य सरकार निम्नलिखित सिफारिशों को लागू करने पर विचार कर सकती है:

**स्वास्थ्य सेवाओं के लिए नीतिगत ढाँचा**

- राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जिला अस्पतालों के लिए सेवाओं और संसाधनों के प्रावधान के मौजूदा मानकों और मानदंडों का कड़ाई से पालन किया जा रहा है। नियमों के जानबूझकर उल्लंघन या सेवाओं में लापरवाही के लिए अधिकारियों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए।

**बाह्य रोगी सेवाएँ**

- परामर्श प्रक्रिया के साथ रोगियों की संतुष्टि सुनिश्चित करने के लिए परामर्श समय की समीक्षा की जानी चाहिए और कम परामर्श समय के साथ चिन्हित ओपीडी में पर्याप्त चिकित्सकों को तैनात किया जा सकता है।
- मरीजों के लिए प्रतीक्षा समय को कम करने के लिए बढ़ती रोगी माँग के परिप्रेक्ष्य में पंजीकरण खिड़कियों की संख्या में असमानताओं तथा बैठने/शौचालय सुविधाओं में सुधार किया जाना चाहिए।
- सभी जिला अस्पतालों में शिकायत निवारण तंत्र विकसित और सक्रिय किया जाना चाहिए ताकि रोगी संतुष्टि से संबंधित मुद्दों को हल करने के लिए पूर्व-निर्धारित प्रावधानों द्वारा जिला अस्पतालों के प्रदर्शन में सुधार किया जा सके।

**निदानकारी सेवाएँ**

- मौजूदा मानकों और मानदंडों के अनुसार आवश्यक जिला अस्पतालों में रेडियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल उपकरण, सभी प्रकार की पैथोलॉजिकल जाँच और आवश्यक मानव बल की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए।

**अंतः रोगी सेवाएँ**

- सरकार को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा देखभाल तक पहुँच सुनिश्चित करने के लिए जिला अस्पताल में आवश्यक दवाओं, उपकरणों और मानव संसाधनों के

साथ-साथ विशेष अंत: रोगी सेवाओं की उपलब्धता में सक्रिय रूप से तालमेल बिठाना चाहिए।

- सभी जिला अस्पतालों में आईसीयू और बर्न वार्ड सुविधाओं सहित सभी आवश्यक अंतः रोगी सेवाओं को उचित संसाधनों के साथ सुनिश्चित किया जाना चाहिए ताकि गंभीर रोगियों को तत्काल उपचार मिल सके।
- रोगियों को प्रदान किए जाने वाले आहार के संबंध में गुणवत्ता मानक सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

**मातृत्व सेवाएँ**

- गर्भावस्था के प्रतिकूल परिणामों को कम करने के लिए निर्धारित अंतर्गर्भाशयी और प्रसवोत्तर देखभाल सुनिश्चित की जानी चाहिए।
- सभी जिला अस्पतालों में एसएनसीयू को क्रियाशील बनाया जाना चाहिए।
- अस्पताल से छुट्टी मिलने से पहले लाभार्थी को जेएसवाई के तहत नकद सहायता का भुगतान सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

**संक्रमण नियंत्रण**

- संक्रमण नियंत्रण और सफाई गतिविधियों के लिए सभी जिला अस्पताल द्वारा विस्तृत एसओपी तैयार की जानी चाहिए तथा जिला संक्रमण नियंत्रण समितियों द्वारा उनका कार्यान्वयन और निगरानी सुनिश्चित की जानी चाहिए।
- प्रक्रिया के उचित प्रलेखन के साथ निर्धारित कीटाणुशोधन और उपकरणों का विसंक्रमण सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
- जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के प्रावधानों के अनुसार तरल रासायनिक अपशिष्ट का निपटान सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

**औषधि प्रबंधन**

- विभाग को आवश्यक औषधियों के क्रय और परीक्षण के लिए स्पष्ट समय सीमा निर्धारित करनी चाहिए और समय सीमा का पालन सुनिश्चित करना चाहिए, ऐसा करने में विफल रहने पर जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए और दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जानी चाहिए।
- ड्रग एवं कॉस्मेटिक नियम, 1945 में निर्धारित उचित परिस्थितियों में औषधियों के भंडारण एवं उनकी प्रभावशीलता को बनाए रखना सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

**भवन अवसंरचना**

- विभाग को आईपीएचएस मानदंडों के अनुसार जिलों में जनसंख्या वृद्धि के अनुरूप जिला अस्पताल की बिस्तर क्षमता के उन्नयन की योजना बनानी चाहिए।

- विभाग को सभी अधूरे अस्पताल भवनों की समीक्षा करनी चाहिए और उन बाधाओं को दूर करना चाहिए जो देरी का कारण बन रही हैं। पर्याप्त उपकरण और मानव बल को तैनात करके निष्क्रिय भवनों का संचालन किया जाना चाहिए।
- लापरवाही/ चूक के कारण अस्पताल भवनों के निर्माण में अत्यधिक देरी तथा उपकरणों की निष्क्रियता हेतु जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए।

**राँची** **(इंदु अग्रवाल)**

**दिनांक: 10 दिसम्बर 2021** **प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) झारखण्ड**

**प्रतिहस्ताक्षरित**

**नई दिल्ली** **(गिरीश चंद्र मुर्मू)**

**दिनांक: 15 दिसम्बर 2021** **भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक**